<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।</u>

जे० ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010036592026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1320/12A/2026

1–दरोगा पाण्डेय आयु करीब 42 वर्ष

2–हीरालाल पाण्डेय आयु करीब 47 वर्ष

3–विजय कुमार पाण्डेय आयु करीब 32 वर्ष पुत्रगण ननके पाण्डेय

निवासीगण ग्राम शुकलनपुरवा दा० सिटकहना जोत केशव, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

परिवाद संख्या 126/2023

धारा–354, 504 भा०द०सं०

व धारा 3(1) (x) एस.सी./एस.टी.एक्ट

थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

<u>10–07–2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण दरोगा पाण्डेय, हीरालाल पाण्डेय व विजय कुमार पाण्डेय पुत्रगण ननके पाण्डेय, निवासीगण ग्राम शुकलनपुरवा दा० सिटकहना जोत केशव, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच की ओर से परिवाद संख्या 126/2023, धारा 354, 504 भा०द०सं० व धारा 3(1) (x) एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादिनी मुकदमा पर तामील है। उसकी तरफ से आज वकालतनामा दाखिल किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को फर्जी फंसाया गया है। उक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है। विपक्षीगण प्रार्थिनी को आये दिन तंग व परेशान करते हैं। दिनांक 13.03.2023 को समय 8.30 बजे सुबह जानवरों को चारा देने के लिए गयी थी। विपक्षीगण पहले से वहाँ घात लगाये बैठे थे प्रार्थिनी जैसे ही अपने हाते में पहुंची तो विपक्षीगण जातिसूचक माँ बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे और कहा कि चमारिन ––––ये हाता हमको दे दो नहीं तो तुमको और तुम्हारे परिवार को जान से मार देगे। जिसपर प्रार्थिनी ने विरोध किया तो प्रार्थिनी को विपक्षीगण जमीन पर पटक दिया और लात मूका थप्पड़ से काफी मारा पीटा और प्रार्थिनी के पहने हुए कपड़ों को बुरी नियत से फाड़ डाला और उसके साथ अश्लील हरकत किया। विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025

को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। प्रार्थिनी ने अपने केस के समर्थन में स्वयं का बयान धारा 200 द०प्र०सं० के तहत तथा अपने साक्षीगण छोटे व श्रीराम का बयान धारा 202 द०प्र०सं० के तहत अंकित कराया है।

अभियुक्तगण का कहना है कि प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर हैं। उक्त कथनों के साथ जमानत की याचना की गयी।

इसके विपरीत अभियोजन/वादिनी पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता,वादिनी अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी के बयान धारा 200 द०प्र०सं० तथा साक्षीगण के बयान धारा 202 द०प्र०सं० के आधार पर विपक्षीगण को धारा 354,504 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(x) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिये सम्मन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को तलब किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर हैं। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया हो। अतः उपरोक्त आधार पर मामला जमानत योग्य है और इसी आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/–(पचीस हजार) के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोप/धारा 313 द०प्र०सं० के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगें, धमकायेगें और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेगे।

3– अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें तथा विचारण में सहयोग करेगें,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांकः 10.07.2026 विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।